

[2023] 1 एस सी आर 595 ए

ए.

जसवंत सिंह और ओआरएस. वी.

छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर. (लिखित याचिका (सीआरएल)) 2022 का सं. 323)
13 जनवरी, 2023

बी.

[दिनेश माहेश्वरी और बेला एम. त्रिवेदी, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता 1973: धारा 432 (2)-छूट का अनुदान-धाराओं की आवश्यकता।
432(2) - आयोजित किया गया: पीठासीन न्यायाधीश को यू/एस की राय देते समय पर्याप्त कारण देने चाहिए। 432(2) - तथ्यों के आधार पर, कुल आठ में से तीन दोषियों ने समय से पहले रिहाई के लिए अपने-अपने आवेदन प्रस्तुत किए, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया- आयोजित: उक्त आदेशों में उन प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद पर्याप्त कारण होने चाहिए थे जो लक्ष्मण नस्कर के मामले में माफी के लिए आवेदनों में निर्धारित किए गए थे- याचिकाकर्ताओं के आवेदनों पर नए सिरे से पुनर्विचार करने के लिए विशेष न्यायाधीश को निर्देश जारी करना, पर्याप्त तर्क के साथ।

सी.

डी.

लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ, (2002) 2 एससीसी 595; भारत संघ बनाम श्रीहरण @मुरुगन (2016) 7 एससीसी

1 - पर भरोसा किया।

संदर्भित निर्णय

ई.

(2002) 2 एस. सी. सी. 595

पर भरोसा किया गया |

पैरा **5**

(2016) 7 एससीसी 1

पर भरोसा किया गया |

आपराधिक मूल न्यायनिर्णय:लेखन याचिका (सीआरएल) 2022 का No.323।

एफ.

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

मोहम्मद.इरशाद हनीफ, रिज़वान अहमद, शकील अहमद, आमिर कलीम, मोहित कुमार, गुरमीत सिंह, सलीम खान, आर. शरत, अधिवक्तागण याचिकाकर्ताओं के लिए।

विशाल प्रसाद, सुश्री रितिका सेठी, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जी.

बेला एम. त्रिवेदी, जे.

1. याचिकाकर्ता, जो दोषी हैं और एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 13.02.2015 के आदेश को देखते हुए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। 2015 का सं. 1348-49, उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 10.05.2013 के निर्णय और आदेश की पुष्टि करता है।

एच.

595

596

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

बिलासपुर में छत्तीसगढ़ ने आपराधिक अपील सं. 933/2010 (सत्र मामला सं. 16/2006 से उत्पन्न) में भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 को लागू किया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं के मामले को नए सिरे से विचार के लिए सजा सुनाने वाली न्यायालय में पेश करने के लिए प्रतिवादियों को आदेश देते हुए उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की मांग की गई है।

2. वर्तमान याचिकाकर्ताओं के साथ अन्य सह-अभियुक्तों पर आई. पी. सी. की धारा 147, 148, आई. डी. 2, आई. डी. 1 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) की धारा 3 (2) (5) के तहत अपराधों के लिए आरोप लगाए गए थे और विशेष न्यायाधीश (एस. सी., एस. टी.), दुर्ग द्वारा विशेष मामला संख्या 16/2006 में उक्त अपराधों के लिए दोषी पाए जाने पर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उनके

खिलाफ यह आरोप लगाया गया था कि सभी अभियुक्तों, जिनकी संख्या 8 थी, ने एक गैरकानूनी सभा का गठन किया था और तलवार, कुल्हाड़ी, लकड़ी की छड़ी आदि जैसे घातक हथियारों का उपयोग करके कार्तिकराम और पुनीत की हत्या कर दी थी।

बी.

सी.

3. याची नं.1 जसवंत सिंह, जिनकी आयु लगभग 63 वर्ष है; याची नं.2 अजय, जिनकी आयु लगभग 43 वर्ष है और याची नं.3 लगभग 57 वर्ष की आयु के नरेश ने बिना किसी छूट (लगभग 21 वर्ष के कारावास की छूट के साथ) के लगभग 16 वर्ष के कारावास की सजा काटते हुए Cr.PC की धारा 432 (2) के तहत जेल अधीक्षक, केंद्रीय जेल, दुर्ग को समय से पहले उनकी रिहाई के लिए अपने-अपने आवेदन प्रस्तुत किए थे। जेल अधीक्षक ने संबंधित सत्र न्यायालय की राय मांगी जिसने याचिकाकर्ताओं को दोषी ठहराया था। विशेष न्यायाधीश, दुर्ग, छत्तीसगढ़ ने क्रमशः 2.7.2021, 10.8.2021 और 1.10.2021 दिनांकित पत्रों के माध्यम से अपनी राय देते हुए कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, उक्त याचिकाकर्ताओं की शेष सजा को माफ करने की अनुमति देना उचित नहीं था।

डी.

ई.

एफ.

4. छत्तीसगढ़ सरकार के विधि विभाग ने भी दिनांकित 27.11.2021 नोट के माध्यम से एक राय दी कि सजा सुनाने वाले न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश द्वारा दी गई राय को देखते हुए, याची नं. 1 और 3 को धारा 433-ए Cr.PC के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बाद, महानिदेशक, जेल और सुधार सेवा छत्तीसगढ़ ने 21.02.2022 पर याची सं.2 गृह विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार को और 02.03.2022 पर, अतिरिक्त आयुक्त को एक पत्र संबोधित किया। मुख्य सचिव, जेल विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, याची नं.1 और 3 अन्य दोषियों के साथ माफी के लिए। 22.3.2022 पर, विधि विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर ए

जी.

एच.

597

जसवंत सिंह और ओआरएस. वी. छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

उन्होंने अपनी राय दी कि चूंकि सजा सुनाने वाले न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश ने सकारात्मक राय नहीं दी थी, इसलिए याची नं.1 और 3 को छूट पर जारी नहीं किया जाना

चाहिए।इसलिए महानिदेशक, जेल और सुधारात्मक सेवाओं ने याची नं. 1 और 3 छूट पर उनकी रिहाई के लिए।ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी का आवेदन सं।2 छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग के समक्ष विचार के लिए लंबित रहा।

बी.

5. इस बीच, सह-अभियुक्तों में से एक राम चंदर, जिसे उक्त मामले में वर्तमान याची ओं के साथ दोषी ठहराया गया था, ने रिट याचिका (आपराधिक) No.49/2022 को प्राथमिकता दी थी, जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 22.4.2022 के आदेश के माध्यम से प्रतिवादियों को उक्त याची के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया और विशेष न्यायाधीश को लक्ष्मण नास्कर बनाम भारत संघ में निर्धारित प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त तर्क के साथ नए सिरे से एक राय प्रदान करने का निर्देश दिया।विशेष न्यायाधीश (अत्याचार अधिनियम दुर्ग), इसलिए, लक्ष्मण में इस न्यायालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए

सी.

नास्कर बनाम भारत संघ (ऊपर) ने अन्य बातों के साथ-साथ यह मत व्यक्त किया कि सजा

डी.

कैदी राम चंदर (सह-अभियुक्त) को पक्ष में रखा जा सकता था और तदनुसार उसकी सजा को माफ करने की सिफारिश की जा सकती थी।

6. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और सह-अभियुक्त राम चंदर द्वारा दायर रिट याचिका (आपराधिक) No.49/2022 में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश पर सावधानीपूर्वक विचार विद्वान है।उक्त निर्णय में, समन्वय पीठ ने लक्ष्मण नास्कर बनाम के मामले में निर्धारित कारकों की आवश्यकता पर विस्तार से विचार किया है। भारत संघ (उपर्युक्त), धारा 432 (2) Cr.P.C के तहत राय देते समय पीठासीन न्यायाधीश द्वारा विचार किया जाएगा, और Cr.PC की धारा 432 और 433-A के तहत सजा को निलंबित करने या हटाने के लिए उपयुक्त सरकार की शक्तियां। न्यायालय ने उक्त निर्णय में, इस न्यायालय के पहले के फैसलों पर विचार करने के बाद, विशेष रूप से

ई.

एफ.

भारत संघ बनाम श्रीहरण @मुरुगन 2 के मामले में और लक्ष्मण नास्कर बनाम भारत संघ (उपरोक्त) के मामले में संविधान पीठ ने कहा

निम्नानुसार:- “20. श्रीहरण (ऊपर) में, न्यायालय ने कहा कि पीठासीन न्यायाधीश की राय अपराध की प्रकृति, दोषी के रिकॉर्ड, उनकी पृष्ठभूमि और अन्य प्रासंगिक कारकों पर प्रकाश डालती है।महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने कहा कि

जी.

1 (2002) 2 एससीसी 595 2 (2016) 7 एससीसी 1 ए

एच.

598

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

पीठासीन न्यायाधीश की राय सरकार को यह 'सही' निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी कि सजा माफ की जानी चाहिए या नहीं। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि पीठासीन न्यायाधीश की राय केवल एक प्रासंगिक कारक है, जिसका छूट के आवेदन पर कोई निर्धारक प्रभाव नहीं पड़ता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 (2) के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा का उद्देश्य विफल हो जाएगा यदि पीठासीन न्यायाधीश की राय केवल एक अन्य कारक बन जाती है जिसे सरकार द्वारा माफी के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जा सकता है। तब यह संभव है कि धारा 432 (2) के तहत प्रक्रिया केवल एक औपचारिकता बन जाएगी।

बी.

सी.

21. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उपयुक्त सरकार को यांत्रिक रूप से पीठासीन न्यायाधीश की राय का पालन करना चाहिए। यदि पीठासीन न्यायाधीश की राय धारा 432 (2) की आवश्यकताओं का पालन नहीं करती है या यदि न्यायाधीश लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ (उपर्युक्त) में निर्धारित छूट देने के लिए प्रासंगिक कारकों पर विचार नहीं करता है, तो सरकार पीठासीन न्यायाधीश से मामले पर नए सिरे से विचार करने का अनुरोध कर सकती है।

22. वर्तमान मामले में, यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि पीठासीन न्यायाधीश ने लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ (उपर्युक्त) में निर्धारित कारकों को ध्यान में रखा है। इन कारकों में यह आकलन करना शामिल है कि (i) अपराध बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करता है या नहीं; (ii) अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना; (iii) भविष्य में अपराध करने के लिए दोषी की क्षमता; (iv) यदि दोषी को जेल में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा हो रहा है; और (v) दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति। लक्ष्मण नस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (ऊपर) और हरियाणा राज्य बनाम जगदीश (2010) 4 एस. सी. सी. 216 में, इस न्यायालय ने दोहराया है कि समय से पहले रिहाई के लिए एक दोषी के आवेदन पर निर्णय लेते समय इन कारकों पर विचार किया जाएगा।

डी.

ई.

एफ.

23. 21 जुलाई 2021 को अपनी राय में विशेष न्यायाधीश, दुर्ग ने उस अपराध का उल्लेख किया जिसके लिए याची को दोषी ठहराया गया था और केवल यह कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए माफी देना उचित नहीं होगा। राय सी. आर. पी. सी. की धारा 432 (2) के प्रावधानों के अनुसार है जिसके लिए आवश्यक है कि पीठासीन न्यायाधीश की राय कारणों के साथ होनी चाहिए। हैल्सबरी के भारत के कानून (प्रशासनिक कानून) में कहा गया है कि कारण देने की आवश्यकता तब पूरी होती है जब संबंधित ए

जी.

एच.

599

जसवंत सिंह और ओआरएस. वी. छत्तीसगढ़ राज्य और ए. एन. आर. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]
ए.

प्राधिकरण ने प्रासंगिक कारण प्रदान किए हैं। यांत्रिक कारणों को पर्याप्त नहीं माना जाता है। निम्नलिखित उद्धरण हमारे विचार के लिए उपयोगी है: “[005.066] कारणों की पर्याप्तता किसी विशेष मामले में कारणों की पर्याप्तता प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करती है। प्राधिकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह न्यायालय की तरह फैसला लिखे। हालांकि, कम से कम, तर्क की प्रक्रिया की एक रूपरेखा दी जानी चाहिए। यदि आदेश के लिए प्रासंगिक कारण दिए गए हैं तो यह कारण देने की आवश्यकता को पूरा कर सकता है, हालांकि प्राधिकरण ने सभी कारणों को निर्धारित नहीं किया है या कुछ कारणों पर जो न्यायालय के समक्ष तर्क दिए गए थे, प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है। आदेश में वैधानिक भाषा की केवल पुनरावृत्ति आदेश को तर्कपूर्ण नहीं बनाएगी। यांत्रिक और रूढ़िवादी कारणों को पर्याप्त नहीं माना जाता है। बोलने का आदेश वह होता है जो आदेश पारित करने वाले न्यायनिर्णायक निकाय के दिमाग की बात करता है। 'वर्ष 1982 की पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई' जैसे कारण को पर्याप्त नहीं माना जा सकता है क्योंकि बयान में बताया गया है कि परीक्षा क्यों रद्द की गई है; यह केवल कारण बताए बिना सजा का उल्लेख करता है।” (हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंडिया (एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ) (लेक्सिस नेक्सिस, ऑनलाइन संस्करण)।

बी.

सी.

डी.

24. इस प्रकार, अपर्याप्त तर्क के साथ एक राय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 (2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगी। इसके अलावा, यह उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा जिसके

लिए धारा 432 (2) के तहत अभ्यास किया जाना है, जो कार्यपालिका को सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एक सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

ई.

25. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता के माफी के आवेदन पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। हम विशेष न्यायाधीश, दुर्ग को निर्देश देते हैं कि वे आवेदन पर नए सिरे से पर्याप्त तर्क के साथ एक राय प्रदान करें जो लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ (उपर्युक्त) में निर्धारित माफी के अनुदान को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखता है। विशेष न्यायाधीश, दुर्ग को इस आदेश की प्राप्ति की तारीख के एक महीने के भीतर अपनी राय देनी चाहिए। हम छत्तीसगढ़ राज्य को विशेष न्यायाधीश, दुर्ग की राय प्राप्त करने के एक महीने के भीतर नए सिरे से माफी के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश देते हैं।”

एफ.

जी.

एच.

600

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

7. चूंकि वर्तमान याचिकाकर्ताओं का मामला भी सह-अभियुक्त राम चंदर के मामले के समान है, इसलिए दिनांकित 02.07.2021, 10.08.2021 और 01.10.2021 पत्रों में निहित पीठासीन अधिकारी की राय में लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ (उपर्युक्त) के मामले में निर्धारित किए गए कारकों के संबंध में कारण नहीं हैं, हम सह-अभियुक्त राम चंदर के मामले में पारित किए गए समान आदेश पारित करने का प्रस्ताव करते हैं।

बी.

8. मामले के उस दृष्टिकोण में, यह माना जाता है कि याचिकाकर्ताओं के माफी के आवेदनों पर प्रत्यर्थी अधिकारियों द्वारा नए सिरे से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तदनुसार, हम विशेष न्यायाधीश, दुर्ग को याचिकाकर्ताओं के आवेदनों पर नए सिरे से एक राय प्रदान करने का निर्देश देते हैं, जिसमें प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद पर्याप्त तर्क के साथ, जो निम्नलिखित में निर्धारित छूट के अनुदान को नियंत्रित करते हैं।

सी.

लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ (ऊपर)। राय मिलने के बाद

छत्तीसगढ़ राज्य, विशेष न्यायाधीश दुर्ग की राय प्राप्त करने के एक महीने के बाद और जितनी जल्दी हो सके, नए सिरे से माफी के लिए याचिकाकर्ताओं के आवेदनों पर अंतिम निर्णय लेगा। वर्तमान रिट याचिका की उपरोक्त शर्तों में अनुमति है।

डी.

सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

ई.

निधि जैन

लिखित याचिका की अनुमति दी गई।

(सहायक: भव्यता कपूर, एलसीआरए)

एफ.

जी.

एच.